



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272532
CG-DL-E-14052026-272532

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2381]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2026/वैशाख 23, 1948

No. 2381]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2026/VAISAKHA 23, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

का.आ. 2473(अ).— भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 13 अगस्त, 2025 की संख्या का.आ. 3740 (अ), के माध्यम से प्रकाशित हुई थी, के हिंदी संस्करण में, शब्द 'न्यायनिर्णयन बोर्ड', जहाँ कहीं भी आए, के स्थान पर 'न्यायनिर्णायक बोर्ड' पढ़ा जाए।

[फा. सं. पीडी-24015/60/2021-पीडी-1/ई-349102]

प्रवीण पी. नायर, संयुक्त सचिव